## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 05 / 2020 (2020 / 00022) दर्ज दिनांक 24.01.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

दुर्गाकंवर पत्नि ईश्वरसिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता रतनलाल जाट
2. मुकेश पिता रतनलाल जाट
3. राजू पिता रतनलाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कमला बेवा रतनलाल जाट
4. दिलखुश पिता रतनलाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कमला बेवा रतनलाल जाट
5. कमला बेवा रतनलाल जाट

सर्व निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीया: सुनिल कुमार जैन

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–30.09.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षी के विरूद्व प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम माकड़िया पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1703रकबा 0.50 हे0, 1704 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 91पर स्थित है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 पेश है।

यह कि प्रार्थीया की उक्त आराजियात के पूर्वी ओर विपक्षीगण की आराजी संख्या 1707 रकबा 0.32 व आराजी संख्या 1708 रकवा 0.16 हे0 कृषि भूमि ग्राम माकड़िया जाने वाली पक्की सड़क से सटमा स्थित है।

यह कि प्रार्थीया की उक्त आराजियात के पश्चिम व दक्षिण तरफ राजस्व ग्राम भूणास की सीमा लगी हुई है तथा उत्तर की ओर विपक्षीगण की आराजियात स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:50 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीया की उक्त वर्णित अपनी आराजि[illegible] से हर प्रकार के साधनों से अर्थात बेलगाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि से आवा[illegible] आराजी संख्या 1708 व 1707 की उत्तरी पाली से होकर मौके [illegible] चौड़े रास्ते से होकर [illegible] करती चली आ रही है। प्रार्थीया के पास इस रास्ते के अ[illegible] और कोई वैकल्पिक [illegible] नहीं है। प्रार्थीया उक्त आवागमन के रास्ते में विपक्षीगण द्वारा अवरोध कारित करने से प्रार्थीया ने



Scanned with CamScanner

विपक्षीगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा एवं आदेशात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वरिष्ठ सिविल न्यायालय गंगापुर में प्रस्तुत किया है जिसको बाद विचारण साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया गया जिसकी अपील प्रार्थीया द्वारा अपर न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है।

यह कि उक्त आराजीयात के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में जाने का कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थीया की आराजी में जाने के लिए इस रास्ते की सख्त आवश्यकता है और आवश्यकता के हिसाब से प्रार्थीया इस आराजी संख्या 1707, 1708 से होकर आवागमन का स्थायी रास्ता चाहती है और इस हेतु डीएलसी रेट से भूमि की कीमत विपक्षीगण को अदा करने के लिए तैयार है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी संख्या 1703 व 1704 में हर प्रकार के साधनों से आवागमन करने का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 1707 व 1708 की उत्तरी पाली पर 15 फिट चौड़े रास्ते के रूप में बिलानाम रास्ता राजस्व नक्शा ट्रेश में अंकन फरमाते हुए उक्त रास्ते के भू—भाग की भूमि की प्रतिकर राशि जो भी माननीय न्यायालय इस उपबन्ध के तहत विपक्षीगण को दिलाना उचित समझे, प्रार्थीया से विपक्षीगण को दिलाई जावे तथा विपक्षीगण की उक्त आराजियात में से उक्त रास्ते के भू—भाग की भूमि का रकबा कम करते हुए राजस्व अभिलेख में उक्त रास्ते को बिलानाम रास्ता दर्ज अभिलेख कराया जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये।

विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में तहसीलदार सहाड़ा से मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक /राजस्व/ 20/433 दिनांक 14.08.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

**<u>मौका पर्चा अनुसार :—</u>**

—यह कि ग्राम माकड़िया प0ह0 भूणास के आराजी नं0 1707 व 1708 में मौके पर पगडण्डी नुमा बनी हुई है।

—यह कि मौके पर वादीया द्वारा चाहे गये प्ररतावित रास्ते में कच्ची पत्थर की दीवार बनी हुई है।

—यह कि मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई [illegible] नहीं होना वादीया की और से उपस्थित बलवीर सिंह द्वारा बताया गया।

—यह कि वर्तमान में आवागमन हेतु उक्त पगडण्डी का रास्ता ही उपयोग में लिया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:50 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

— यह कि उक्त चाहे गये रास्ते में आराजी नं0 1707 में से 0.02 हे0 भूमि तथा आराजी नं0 1708 में से 0.0150 हे0 भूमि कुल 0.0350 हे0 भूमि प्रभावित होगी । ग्राम माकड़िया की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 208298/— रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.0350 हे0 की मालियत 7291/— रूपये होती है तथा इसकी दुगुनी राशि 14582/— रूपये होती है।

—यह कि प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है। तथा प्रस्तावित रास्ते में मौके पर 07 हरे वृक्ष भी स्थित है।

—यह कि मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना जाहिर हुआ है।

—यह कि प्रतिवादी श्री नारायण लाल ने बताया कि उक्त रास्ता बाबत पूर्व में सिविल न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ जो निर्णित होकर वादीया द्वारा इसकी अपील की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीया अधिवक्ता को मजमे आम में सुना गया। प्राथी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया । दौराने बहस बताया कि उक्त रास्ता बाबत पूर्व में सिविल न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ जो निर्णित होकर वादीया द्वारा इसकी अपील अपर न्यायालय में की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है जिसका इस प्रार्थना पत्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीया द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम माकड़िया पटवार हल्का भूणास की आराजी संख्या 1703, 1704 में आवागमन करने के लिऐ एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की खातेदारी आराजी संख्या 1708 , 1707 की उत्तरी पाली से होकर जाने के अलावा अन्य कोई भी रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थीया को अपनी [illegible] आराजी नं0 1703 , 1704 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिए विपक्षीगण की [illegible] आराजी 1707 में से 0.02 हे0 भूमि तथा 1708 में से 0.0150 हे0 भूमि की उत्तरी पाली [illegible] अर्थात कुल 0.0350 हे0 भूमि यानी 15 फिट चौड़ाई का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना [illegible]त प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 05/2020 (2020/00022)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम माकड़िया पटवार हल्का भूणास की आराजी संख्या 1703, 1704 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की खातेदारी आराजी 1707 में से 0.02 हे0 भूमि तथा 1708 में से 0.0150 हे0 भूमि की उत्तरी पाली से अथार्त कुल 0.0350 हे0 भूमि यानी 15 फिट चौड़ाई का नवीन रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 208298/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 7291/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 14582/–प्रार्थी विपक्षीगण को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.0350 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा उक्तानुसार राशि 14582/– प्रार्थीया से वसुल कर जरिये चालान नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम माकड़िया पटवार हल्का भूणास की आराजी संख्या 1703, 1704 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की खातेदारी आराजी 1707 में से 0.02 हे0 भूमि तथा 1708 में से 0.0150 हे0 भूमि की उत्तरी पाली से 15 फिट चौड़ाई का रास्ता अथार्त कुल 0.0350 हे0 भूमि को बिलानाम गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा



Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner